अतिशीघ्र/तत्काल
विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या – डी.ई. 25(13)/472/एल.डब्ल्यू./2022–23/2040-41 दिनाँक – 14/12/2023

सेवा में,

श्रीमान् उप सचिव (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054।

विषय– विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 36, दिनाँक – 15.12. 2023 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपके द्वारा प्रेषित उपरोक्त विधानसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 36 .100 प्रतियाँ), जो कि दिनाँक–15.12.2023 के लिए सूचीबद्ध किया गया है, का उत्तर सक्षम प्राधिकारी के पूर्वानुमति से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

भवदीय

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

Geeta Thakur
(गीता ठाकुर)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

संख्या – डी.ई. 25(13)/472/एल.डब्ल्यू./2022–23/2040-41 दिनाँक – 14/12/2023

प्रतिलिपि – निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054 को 150 प्रतियाँ अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।

Geeta Thakur
(गीता ठाकुर)
उप शिक्षा निदेशक (विधायी कार्य शाखा)
DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली – 110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 36

दिनाँक :–15.12.2023

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री जितेन्द्र महाजन

क्या माननीय शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
क)	EWS आरक्षण किस कक्षा तक लागू होता है;	आर.टी.ई अधिनियम, 2009 के नियमानुसार ईडब्ल्यूएस आरक्षण आठवीं कक्षा तक लागू होता है। इस संबंध में पूरक सामग्री **संलग्नक–'क'** के रूप में संलग्न है।
ख)	सरकार द्वारा अथवा विद्यालय द्वारा EWS आरक्षण में प्रवेश देने के पश्चात विद्यार्थी को बीच में इस आरक्षण से वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं;	जी नहीं।
ग)	अगर वंचित किया जा सकता है तो किन नियमों के तहत वंचित किया जा सकता है जानकारी उपलब्ध करवाई जाये;	उपरोक्त के संबंध में लागू नहीं।
घ)	EWS आरक्षण में छात्रों को क्या–क्या सुविधायें उपलब्ध करवाई जाती है, जानकारी उपलब्ध करवाई जाये। ईडब्ल्यूएस कोटे के छात्रों को सरकार द्वारा तय सुविधा नहीं उपलब्ध करवाने पर स्कूलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है;	आर.टी.ई अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत ईडब्ल्यूएस / डीजी छात्र से शुल्क नहीं लिया जाता है। साथ में, ये विधार्थी मुफ्त किताबें, लेखन सामग्री एवं यूनिफॉर्म के लिए भी योग्य हैं, जो संबंधित स्कूल को देना अनिवार्य है। इस संबंध में, यदि कोई निजी विद्यालय के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो डी.एस.ई.ए.आर., 1973 के अंतर्गत ऐसे निजी विद्यालय को समय–समय पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है एवं तत्पश्चात ऐसे निजी विद्यालय के खिलाफ डी.एस.ई.ए.आर., 1973 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने का प्रावधान है।
ङ)	प्राइवेट स्कूलों का अभी तक किस वर्ष तक का EWS राशि का भुगतान किया गया है तथा कितना रुपया लंबित है;	निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के वैध दावों के भुगतान की स्वीकृति देने का कार्य जारी है। नवम्बर 2023 तक 2021–22 सत्र के लिए 1301 विद्यालयों ने दावे प्रस्तुत किए और 1055 विद्यालयों को भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है। 2022–23 सत्र के लिए 685 विद्यालयों ने दावे प्रस्तुत किए और 351 स्कूलों को भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है। शेष विद्यालयों के संबंध में भुगतान प्रक्रिया जारी है।

Geeta Thakur

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

च) पिछले वर्ष 2021–22 तथा 2022–23 में कितने बच्चों ने EWS आरक्षण के तहत प्रवेश के लिये अप्लाई किया था तथा कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला था कुल उपलब्ध EWS सीटों का कितना प्रतिशत भरा गया है;

शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध डाटा के अनुसार मांगी गई सूचना निम्नलिखित है:–

एकेडेमिक सेशन	ईडब्ल्यूएस आवेदन संख्या	कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ के लिए कुल ईडब्ल्यूएस सीटों की सं.	कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर आबंटित सीटों की संख्या	कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या	भरी गई सीटों का प्रतिशत कुल सीटों की संख्या के आधार पर
2021–22	147044	35532	35532	25156	71 प्रतिशत
2022–23	192561	36421	36421	26427	72.5 प्रतिशत

सत्र 2021–2022 में 10376 रिक्त सीटों में से 4696 एवं सत्र 2022–23 में 9994 रिक्त सीटों में से 3473 सी.डब्ल्यू.एस.एन. वर्ग में आवेदन न आने के कारण रिक्त रह गई एवं ड्रॉ के बाद कई बार बच्चे एडमिशन लेने नहीं जाते हैं। कुछ स्थितियों में उनके दस्तावेज पूरे नहीं होते हैं इसलिए स्कूल वाले निरस्त कर देते हैं इस कारण से भी सीटें रिक्त रह जाती हैं, इस प्रकार रिक्त सीटों को अगले वर्ष अगली एंट्री लेवल में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है।

सत्र 2021–2022 और 2022–2023 के लिए निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में एंट्री लेवल क्लास में प्रवेश के लिए कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:–

<u>सत्र 2021–2022 के लिए</u>

कुल सीटों की संख्या–35532		
कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ संख्या	कुल आवंटित सीटों की संख्या	प्रवेश दिए गए छात्रों की कुल संख्या
1	29867	22530
2	4868	2313
3	860	313
कुल संख्या		**25156**

<u>सत्र 2022–2023 के लिए</u>

कुल सीटों की संख्या–36421		
कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ संख्या	कुल आवंटित सीटों की संख्या	प्रवेश दिए गए छात्रों की कुल संख्या
1	32858	26234
2	311	193
कुल संख्या		**26427**

नोट:– कुल आवंटन कुल सीटों से अधिक होता है क्योंकि बची हुई सीटें जिनपर किसी कारणवश आवंटन किए गए छात्र प्रवेश नहीं ले पाते हैं, ऐसी सीटों पर विभाग द्वारा दोबारा आवंटन कर दिया जाता है।

छ) सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22 व 2022–23 में कितने बच्चों ने EWS Category के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल में दाखिले हेतु आवेदन किया, जो छात्र एडमिशन से वंचित रह जाते हैं उनकी शिक्षा की सरकार द्वारा

शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध डाटा के अनुसार मांगी गई सूचना निम्नलिखित है:–

एकेडेमिक सेशन	कुल प्राप्त ईडब्ल्यूएस आवेदन संख्या
2019–20	157830
2020–21	172779
2021–22	147044
2022–23	192561

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

<table>
<tr><td></td><td>क्या व्यवस्था की जाती है;</td><td>सत्र 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 और 2022–2023 के लिए निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में एन्ट्री लेवल क्लास में प्रवेश के लिए कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ लॉट्स के आधार पर विस्तृत ब्यौरा संलग्नक –'ख' के रूप में संलग्न है।

इस संबंध में यह कहना है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्राईवेट स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिलें हेतु प्रत्येक वर्ष में (लाखों में) आवेदन प्राप्त होते हैं। 25 प्रतिशत सीटों पर दाखिला प्रक्रिया ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के द्वारा पूर्ण करवाई जाती है। उपरोक्त कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बाद जो छात्र एडमिशन से वंचित रह जाते हैं, यदि वह छात्र शिक्षा निदेशालय के किसी स्कूल में प्रवेश के लिए सम्पर्क करते हैं, तो उनको नजदीक के किसी राजकीय विद्यालय में प्रवेश दिलवाने में शिक्षा निदेशालय द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है।</td></tr>
<tr><td>ज)</td><td>सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22 व 2022–23 में कितनी सीट EWS श्रेणी के बच्चों की सीटें खाली रह गई थीं उनको भरने के लिये दिल्ली सरकार ने क्या प्रयास किया; और</td><td>शिक्षा निदेशालय में उपलब्ध डाटा के अनुसार मांगी गई सूचना निम्नलिखित है:–
<table><tr><th>एकेडेमिक सेशन</th><th>कुल रिक्त ईडब्ल्यूएस सीटों की संख्या</th></tr><tr><td>2019–20</td><td>11265</td></tr><tr><td>2020–21</td><td>14406</td></tr><tr><td>2021–22</td><td>10376</td></tr><tr><td>2022–23</td><td>9994</td></tr></table>
सत्र 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022 और 2022–2023 के लिए निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में एन्ट्री लेवल क्लास में प्रवेश के लिए कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ लॉट्स के आधार पर विस्तृत ब्यौरा संलग्नक–'ख' के रूप में संलग्न है।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट भरी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ मिल सके। इसके लिए, शिक्षा निदेशालय हर सत्र के लिए तीन–चार बार कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स का संचालन नियमानुसार करता है। उपरोक्त वर्णित कारणों से गत वर्ष में जो रिक्तियां नर्सरी क्लास में रह गई थी उनको केजी क्लास में कैरी फॉरवर्ड और केजी क्लास की रिक्तियां फर्स्ट क्लास में कैरी फारवर्ड भी कर दी जाती है।</td></tr>
<tr><td>झ)</td><td>दिल्ली सरकार द्वारा पिछले वर्ष NEET एवं JEE आदि में सफल विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया था, कुल कितने विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया और उनके द्वारा प्राप्त अंक तथा कितने विद्यार्थी दिल्ली सरकार के विद्यालयों से इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और कितने प्राइवेट विद्यालयों से इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, कृपया पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाये?</td><td>दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में पिछले वर्ष NEET व JEE में सफल विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है:–
<table><tr><th>Year</th><th>JEE Mains</th><th>JEE Advance</th><th>NEET</th></tr><tr><td>2022-23</td><td>730</td><td>106</td><td>1391</td></tr></table>उपरोक्त विद्यार्थियों में से 20 विद्यार्थियों को दिल्ली सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था तथा उनके द्वारा प्राप्त अंक से संबंधित जानकारी संलग्नक–'ग' के रूप में संलग्न है।
सरकारी विद्यालयों एवं गैर–सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों से इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 207919 व 73829 है।</td></tr>
</table>

Geeta Thakur

DDE (LW)
Dte. of Education
G.N.C.T. of Delhi

अता० - 36 —1— संलग्नक 'क'

पूरक सामग्री

(1.) आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के प्रावधान के अनुसार आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) आरक्षण आठवीं कक्षा तक लागू है जिसके लिए विभाग इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदकों की संख्या निर्धारित सीटों की संख्या से काफी ज्यादा (लगभग पांच – छः गुना अधिक) होती है, इसलिए सीट आबंटन के लिए कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाता है। जिसके आधार पर लॉटरी के द्वारा चयनित उम्मीदवारों को निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों को इंट्री स्तर की कक्षाओं (नर्सरी/प्री–स्कूल, केजी/प्री–प्राइमरी एवं कक्षा–1/प्राइमरी) में प्रवेश के लिए सीट आबंटित किया जाती है। इसी ड्रॉ के आधार पर चयनित छात्र संबंधित निजी स्कूलों में जाकर प्रवेश लेते है।

(2.) इन सब के वाबजूद कुछ आबंटित उम्मीदवारों का दाखिला ना होने के निम्न कारण हैं:–

i. नॉट–रिपॉर्टेड:– जो बच्चे अपने मर्जी से दिए गए निर्धारित समय सीमा में आबंटित स्कूल में दाखिला लेने नहीं गए उनको संबंधित स्कूल द्वारा इस श्रेणी में रखा जाता है।

ii. रिजेक्टेड:– जिनके डॉक्यूमेंट नियम, निर्देशों के अनुसार नहीं पाए गए और स्कूल ने रिजेक्ट कर दिया।

iii. इन–वेटिंग:– यह वह श्रेणी है जिसमें बच्चें का दाखिला निजी स्कूल द्वारा इन–वेटिंग रखा जाता है इस श्रेणी के बच्चों को संबंधित स्कूल में दाखिला ना होने के सूरत में पुनः अन्य आवेदक द्वारा चुने गए स्कूलों में अलॉटमेंट के नियमानुसार प्रयास किये जाते है।

(3.) शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार का पुरा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीट भरी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को ई.डब्ल्यू.एस. आरक्षण का लाभ मिल सकें। इसके लिए शिक्षा निदेशालय हर सत्र के लिए तीन–चार बार कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स का संचालन नियमानुसार करता है। उपरोक्त वर्णित कारणों से गत वर्ष में जो रिक्तियॉ नर्सरी क्लास में रह गई थी उनको केजी क्लास मे कैरी फॉरवर्ड और केजी क्लास की रिक्तियॉ फर्स्ट क्लास में कैरी फारवर्ड भी कर दी जाती है।

(4.) उपरोक्त के वाबजूद भी यदि कोई निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा निदेशालय के द्वारा आबंटित सीट पर प्रवेश नहीं देता है तो डी.एस.ई.ए.आर., 1973 एवं आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के प्रावधान के तहत समय–समय पर ऐसे निजी विद्यालय के विरूद्ध शिक्षा निदेशालय द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रवेश दिलाकर उन्हें आरक्षण का लाभ दिलाया जा सके।

(5.) इन सबके वाबजूद भी जो छात्र निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश नहीं पा सके, तो वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले सकते है।

V. [signature]

Section O... (...SB)
Directorate of Ed... GNCTD
Old Secretariat, Delhi-54

अनु॰-36

संलग्नक-ख

"अनुलग्नक-क"

सत्र 2019–20, 2020–21, 2021–22 और 2022–23 के लिए निजी गैर–सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) में इन्ट्री लेवल क्लास में प्रवेश के लिए कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के आधार पर विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैं:–

सत्र 2019–2020 के लिए

कुल सीटों की संख्या = 45679		
कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ संख्या	कुल आबंटित सीटों की संख्या	प्रवेश लिए गए छात्रों की कुल संख्या
1	37304	28725
2	6864	2958
3	5087	1121
4	4478	1610
कुल संख्या		34414

सत्र 2020–2021 के लिए

कुल सीटों की संख्या = 47647		
कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ संख्या	कुल आबंटित सीटों की संख्या	कुल प्रवेश दिए गए छात्रों की संख्या
1	41839	29776
2	7696	3465
कुल संख्या		33241

Section Officer (PSB)
Directorate of Education, GNCTD
Old Secretariate, Delhi-54

सत्र 2021–2022 के लिए

कुल सीटों की संख्या = 35532		
कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ संख्या	कुल आबंटित सीटों की संख्या	प्रवेश दिए गए छात्रों की कुल संख्या
1	29867	22530
2	4868	2313
3	860	313
कुल संख्या		25156.

सत्र 2022–2023 के लिए

कुल सीटों की संख्या = 36421		
कम्प्यूटराइज्ड ड्रॉ संख्या	कुल आबंटित सीटों की संख्या	प्रवेश दिए गए छात्रों की कुल संख्या
1	32858	26234
2	311	193
कुल संख्या		26427

Section Officer (PSB)
Directorate of Educa.
Old Secretaria'.

JEE (Adv) Students			
Sr. No.	School Name	Name of Student	Marks Grand Total
1	DR. AMBEDKAR NAGAR,SECTOR-V(DASHINPURI EXTEN)-SV	GAURAV KUMAR	300
2	DR.B.R. ASOSE, SECTOR-23, ROHINI	PURAN MAYUR	151
3	GCSV SEC 22 ROHINI	VIRAT KALSHAN	150
4	SOSE, Sector- 10, Dwarka	JAYESH RAJ SINGHAL	108
5	SCHOOL OF EXCELLENCE, SECTOR 17, ROHINI	AKSHAT MEENA	107
6	SOE Madan Pur Khadar	Parag Jagarwar	106
7	RPVV NAND NAGRI	RAMESH KUMAR DAS	134
8	PUSHP VIHAR, M.B.ROAD-GBSSS	PRITHVI RAJ	133
9	SCHOOL OF EXCELLENCE, SECTOR 17, ROHINI	SAKSHAM MAITRI	114
10	G(Co-Ed) SSS Sec-3 R K Puram New Delhi	Tanuj Chauhan	175

NEET Students Qualified			
Sr. No.	School Name	Name of Student	Marks Grand Total
1	RPVV A-6 PASCHIM VIHAR	PIYUSH JHA	706
2	RPVV A-6 PASCHIM VIHAR	MD JIBRAIL ALAM	685
3	RPVV SECTOR 10 DWARKA	MOHD RAHIL ALAM	681
4	SOSE, Khichripur	Amanul Hoque	695
5	RANI JHANSI SKV RLY CLY TKD	Aarti	636
6	RPVV NAND NAGRI	HIMANSHU	635
7	School of Excellence sector 22 dwarka	Devesh Kumar Meena	558
8	RPVV SECTOR21ROHINI	Deepanshu	609
9	RPVV, Link Road, Karol Bagh	Deewakar (Session: 2021-22)	607
10	RPVV SECTOR 5 Dwarka	VIKAS KUMAR JHA	647

DDE (Exam)
Directorate of Education
Govt. of N.C.T. of Delhi
Old Sectt. Delhi-110054